**श्री किरन रिजिजु :** ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जारी होने पर ही तो PUC certificate निकलते हैं । ...(**व्यवधान**)... सवाल तो पॉल्यूशन का ही है । पॉल्यूशन तो गाड़ी का ही होता है । आपका सवाल इसमें हैं । ...(**व्यवधान**)...

**श्री परवेज़ हाशमी :** अब तक कितने इश्यू हुए हैं ? ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति :** सुन लीजिए ।

**श्री किरन रिजिजु :** माननीय सदस्य ने सब्जेक्ट को थोड़ा सा मोड़ा है । उन्होंने जो गाड़ी की बात कही है, रेग्युलेशन की बात कही है, वह ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतगर्त आती है । जहां तक पॉल्यूशन लेवल की बात है, उसकी रेग्यूलेटरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि वह National Pollution Control Board है और प्रदेश में एक Pollution Control Committee होती है, वह उसको रेग्युलेट करती है ।

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, keeping in mind the issue of high pollution in all cities, including Delhi, and as my friend, Mr. Vijay Goel, also mentioned about the number of vehicles and the ensuing problems, the Government of India has launched the National Electric Vehicle Mobility Mission and that Mission is to be rolled out pan India. The first phase of that National Electric Vehicle Mobility Mission was to be launched in Delhi, and from Delhi, it was to be rolled out some time in the coming months itself. I would like to know from the hon. Minister, keeping in mind the concerns of environment and the importance of this entire Mission, by when, at least, the first pilot phase, which is to be launched in Delhi, will be operational.

**श्री किरन रिजिजु :** मुझे अभी इसकी जानकारी प्राप्त नहीं है । मैं इसकी जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य के पास पहुंचा दूंगा ।

SHRI PRAFUL PATEL: I will also give you some information.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 249.

**Damage to environment by plastic waste**

*249. SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether Government has assessed the extent of damage caused to environment by plastic waste in the country, if so, the outcome thereof;

(b) whether Government is seriously considering enforcing a ban on the manufacture and use of plastic bags in the country; and

(c) if so, by when it would be implemented in the country and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) The environmental impact of plastic waste has been examined by various committees in the past which includes a Task Force headed by Shri Dilip Biswas in 1997 constituted to formulate a strategy and action program for management of plastic waste; Justice Ranganath Mishra Committee in 2002 which examined environmental hazards posed by indiscriminate littering and disposal of plastic waste; R. C. Chopra Committee in 2007 which assessed the environmental hazards related to use of plastic bags in the city of Delhi; expert Committee appointed by the Ministry in 2010 to evolve road map for management of waste in the country including plastic waste; and the study in 2008-09 by the Central Pollution Control Board to assess the impact of plastics waste disposal on soil and water quality at Lucknow dumpsites. The reports of committees indicate that plastic bags if not collected systematically choke drainage system and create unhygienic conditions; animals ingest plastic bags with the discarded food leading to their illness and sometimes death; the plastic waste when disposed off on soil reduces recharging of ground water aquifers; recycled plastic bags and containers contaminate packaged food; plastic waste when disposed off in landfill sites causes leaching of metals and additives into the soil and ground water; and uncollected plastic waste litters the surroundings.

(b) and (c) The Government of India has no proposal to ban manufacture and use of plastic bags in the country. However, the manufacture, sale, stocking and use of plastic carry bags of less than 40 micron in thickness is prohibited under the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011 notified by this Ministry. As per these Rules, the prescribed authorities for implementation of provisions of manufacture, registration and recycling of plastic bags is State Pollution Control Boards in the States and Pollution Control Committees in Union Territories. The Rules also provide for plastic waste management system to be established by the municipal authorities for management of plastic waste in areas under their jurisdictions. The Municipal Authorities are the prescribed authorities for implementing provisions of these rules regarding use, collection, transportation and disposal of plastic waste. The States of Sikkim, Nagaland, Haryana, Himachal Pradesh, Tripura, Rajasthan, J&K and Delhi and Union Territories of Andaman & Nicobar Island, Lakshadweep and Chandigarh have banned use of plastic carry bags in their States.

**श्री संजय राउत :** सर, हमारे देश में जो कानून और नियम बनते हैं, वे बहुत अजीब होते हैं । हम जिस चीज़ पर बैन लगाते हैं, उसी चीज़ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं । जैसे हम पान मसाला

या गुटका आदि पर बैन लगाते हैं, लेकिन उसी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वह बहुत आसानी से मिल जाता है । हमारे देश में, खास कर के प्लास्टिक बैग के बारे में कुछ ऐसा ही हो रहा है । India consumes around five million metric tons of plastic products every year. यह एक बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा टर्नओवर है और यह भी सच है कि इससे रोज़गार भी बहुत मिलता है, लेकिन प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक प्रॉडक्ट्स से पर्यावरण को जो खतरा है, हमारी सेहत को जो खतरा है, उसको भी देखना चाहिए । सुप्रीम कोर्ट ने प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगाया है, फिर भी सड़क से, सड़क के फेरी वालों से लेकर मॉल, बाज़ारों तक आज भी प्लास्टिक पैक्स और प्लास्टिक बैगेज़ेस का इस्तेमाल होता है । मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार प्लास्टिक से उत्पन्न पर्यावरण के खतरों को गंभीरता से ले रही है? हमने 40 microns से कम प्लास्टिक बैग्स बनाने वाले के ऊपर जो बैन लगाया है, उस संदर्भ में आपने आज तक कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है?

**श्री किरन रिजिजु** : सर, पहला क्लैरिफिकेशन यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस तरह के प्लास्टिक बैन का कोई निर्देश नहीं है । दूसरा, यह है कि प्लास्टिक के जो रेग्युलेशन्स है, उसमें कुछ राज्यों ने इसे बैन्ड किया है, कुछ राज्यों ने इसको पार्शियली बैन्ड किया है और कुछ राज्यों में बैन्ड नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता को कम नहीं आंका जा सकता है । क्योंकि इसका जो असर है, वह पर्यावरण पर बहुत गंभीर है, इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जितने कदम उठाए गए हैं, उससे इस संदर्भ में काफी रेग्युलेशन हुआ है और कई-कई जगहों पर इसका असर भी देखने को मिला है । अभी जो ऑर्डर्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं, जैसे कि 40 microns से कम थिकनेस वाला जो प्लास्टिक है, उसको मैन्युफैक्चर न किया जाए, उसका usage भी बैन्ड है ।

**श्री संजय राउत** : उपसभापति जी, 40 microns से कम की जो प्लास्टिक थैलियां होती हैं, वे नष्ट नहीं होती हैं, इससे हमारे पर्यावरण को खतरा है । लेकिन जो हमारे जानवर हैं, गाय हैं, बिल्लियां या कुत्ते हैं, वे उसको खाते हैं, जिससे उनकी सेहत को नुकसान होता है और वे मर भी जाते हैं । हमने यह सुना है, पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर जी का सदन में एक बयान था, मंत्री जी ने बताया था कि एक नया प्रयोग कर रहे हैं, पर्यावरण मंत्रालय biodegradable प्लास्टिक संबंधी एक पायलट प्रोजेक्ट बना रहा है । इस biodegradable प्लास्टिक के इस्तेमाल से प्लास्टिक थैलियों के कचरे से मुक्ति दिलाने में मदद मिलेगी । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है और इस बारे में आपका प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है, जिससे पर्यावरण को फायदा होगा?

**श्री किरन रिजिजु** : सर, जो डायरेक्शन्स या एडवाइजरी मंतरालय की ओर से दी जाती हैं, इसके साथ-साथ उसके लागू नहीं होने पर, जो कार्य होना चाहिए, वह नहीं होने पर, हर स्टेट में उसके लिए बॉडी बनाई हुई है । खास कर के प्लास्टिक बैग का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, लोगों की कन्वीनिएंस के लिए, उसकी जगह पर ये biodegradable प्रॉडक्ट्स हैं, जूट, पेपर बैग आदि के प्रोविजन्स भी हैं । इनके लिए सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं, लेकिन प्लास्टिक को कंप्लीटली बैन करना वर्तमान काल में मुमकिन नहीं लगता है । परंतु साथ-साथ ही जो मिनिस्टीरियल अथॉरिटीज़ हैं, हर स्टेट में जो अपनी-अपनी लोकल बॉडीज़ होती हैं, उनको अथॉराइज किया गया है कि आप इस चीज़ को रेग्युलेट करें ।

**श्री शरद यादव** : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपके जवाब से यह जाहिर है कि इस विकट समस्या का कोई समाधान नहीं है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट का मैटर बना करके इसको अपने सिर से टालने का काम मत कीजिए । प्लास्टिक एक ऐसा मैटीरियल है, जहां भी धरती में यह गिर जाएगा, वहां कोई चीज़ पैदा नहीं होगी । इसके चलते देश की धरती का एक बड़ा हिस्सा अनुपजाऊ हो रहा है । सीधी बात यह है कि इस मामले में सख्ती से कोई कानून लाकर इसे कंप्लीटली बैन करें । इसमें रोजगार खत्म होने का सवाल नहीं है । इसका असर हमारे जो खेत-खलिहान हैं, जमीन है, उस पर पड़ रहा है, इसलिए यह मामला ऐसा नहीं है कि इसे आप इतना सतही तौर पर ले लें और मात्र यह कह दें कि यह नहीं हो सकता है ।

यदि सख्ती से आप इसकी इंडस्ट्री को ही बन्द करने का काम करवा दें, तो इसके लिए स्वयं ही रास्ता बन जाएगा, लेकिन यदि आप यह कहें कि इस क्वालिटी को चालू रखेंगे और इसको नहीं रखेंगे, तब तो यह कभी नहीं हो सकता । हमारा देश अजीब है, जब तक सख्ती से हम इसके उत्पादन के ऊपर कोई हथौड़ा नहीं मारेंगे, तब तक किसी तरह से हम इसका कोई रास्ता नहीं निकाल सकते ।

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आपकी ऐसी कोई मंशा है कि सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव या बिल लाकर इसका कोई रास्ता बनाएगी?

**श्री किरन रिजिजु** : सर, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो सजेशन दिया है, वह बहुत ही अच्छा सजेशन है । सरकार की तरफ से इस पर अमल करने का प्रयत्न किया जाएगा ।

**श्री अजय संचेती** : सर, वेस्ट के बारे में बात चल रही है । देश में आज आई टी इंडस्ट्री बहुत बढ़ चुकी है और उससे निकलने वाला जो ई-वेस्ट है, उसे hazardous waste की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन कई स्टेट्स में देखा यह गया है कि उसको अभी भी ट्रीट नहीं किया जाता है । कई आई-टी इंडस्ट्रीज़ इसे ट्रीट करवाने के लिए देती ही नहीं हैं ।

क्या भारत सरकार सभी स्टेट्स को इसके लिए कोई दिशा-निर्देश जारी करेगी कि ई-वेस्ट को खत्म करने के लिए hazardous waste treatment को कंपल्सरी किया जाए ?

**श्री किरन रिजिजु** : यह डायरेक्टली प्लास्टिक से रिलेटिड सवाल नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, जो भी हैज़ार्डस चीज़ है, उसका ध्यान रखने के लिए सरकार की तरफ से ऑलरेडी एडवाइज़री दी गई है । इसके लिए रेगुलेशंस हैं, जिसका हर स्टेट को पालन करना चाहिए । इस मामले पर भारत सरकार की ओर से निगरानी भी रखी गई है ।

**श्री रवि प्रकाश वर्मा** : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे मौका दिया । इस सवाल पर सरकार का जवाब तो मिला है, लेकिन प्लास्टिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉडक्ट है, जिसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है । इसे खत्म करना तो संभव नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इसके डिस्पोज़ल की है ।

सर, बड़े दुःख की बात है कि अभी तक इसके प्रॉपर डिस्पोज़ल के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रॉडक्ट्स

के प्रॉपर डिस्पोज़ल के लिए सरकार ने विचार किया है? क्या आप इस पर कोई एक मेंडेटरी लॉ या कोई कानून बनाने का विचार रखते हैं, जिसे सही तरीके से इन्फोर्स करके हिन्दुस्तान को प्लास्टिक के पॉल्यूशन से बचाया जा सके?

**श्री किरन रिजिजु :** सर, यह सही बात है कि जब तक आप मेन्युफैक्चरिंग को बन्द नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ इसके इस्तेमाल को बन्द करवा देने से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मेन्युफैक्चरिंग को बन्द किया जा सके, देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । लेकिन हमारा समाज, जो इसका इस्तेमाल करता है, वह सही तरीके से इसका इस्तेमाल करे, इसके लिए प्रावधान है ।

मैं माननीय सदस्य को थोड़ा इसके बारे में बताना चाहता हूं कि एक तो यह जरूरी है कि इसका प्रॉपर कलेक्शन हो । इसे नाले इत्यादि में न फेंका जाए, जिससे ड्रेन ब्लॉक न हो जाए, सड़कों पर न फेंका जाए, जिससे जानवर उसको खाकर बीमार न हो जाएं । इसी तरह से इसके लिए बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, जो in place हैं, लेकिन उनको और अच्छी तरह से लागू करने की आवश्यकता है ।

**'Prior informed consent' of gram sabhas**

*250. PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Will the Minister of ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether Government is contemplating amending certain provision in the Forest Rights Act, 2006 that requires the 'prior informed consent' of gram sabhas before their forests are cleared for industrial activity, if so the details thereof;

(b) whether Government is trying to bypass the established role of gram sabhas that certify that the rights of indigenous tribes over forest land are not violated by an upcoming project; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (c)A statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) to (c) Government is not contemplating amending certain provisions in the Forest Rights Act, 2006.

The Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC) in consultation with various Ministries and Departments in the Central Government has however, further re-examined the guidelines issued under the Forest (Conservation) Act, 1980 *vide* letter dated 3rd August 2009 for ensuring compliance of the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 in case of diversion of forest land for non-forest purpose.